**बेदखली के वाद अन्तर्गत धारा 20 उ० प्र० अधिनियम स० 13 सन् 1972 के वाद पत्र के विरुद्ध लिखित कथन**

**Written Statement against plaint of Eviction Suit U/s. 20 U.P. Act 13 of 1972]**

न्यायालय ......

वाद सं० ............ सन् ............

अ ब स...................... वादी

**बनाम**

स द फ................... प्रतिवादी

महोदय,

प्रतिवादी का, वादी के बाद पत्र के विरुद्ध लिखित कथन निम्न प्रकार है :

1. यह कि वाद पत्र का प्रस्तर 1 स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र का प्रस्तर 2 गलत है और अस्वीकार है । बनावटी आधारों पर वादी प्रतिवादी को मकान से बेदखल करना चाहता है।
3. यह कि वाद पत्र का प्रस्तर 3 गलत है और अस्वीकार है-वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध बेदखली का वाद योजित करने का कोई हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है । असद्भावना से कृत्रिम हेतुक दर्शाये गये हैं-वाद पोषणीय नहीं है।
4. यह कि वाद पत्र का प्रस्तर 4 विधिक है । उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।
5. यह कि वाद पत्र का प्रस्तर 5 गलत है और अस्वीकार है-वादी प्रतिवादी के विरुद्ध कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है । वाद विशेष व्यय सहित खारिज होने योग्य है।

**विशेष कथन**

1. यह कि प्रतिवादी ने भविष्य की जटिलताओं से बचने हेतु उ०प० अधिनियम 13 सन् 1972 को धारा 20(4) के अन्तर्गत सविरोध प्रथम सुनवाई की दिनाँक........ को मान्य न्यायालय में सम्पूर्ण रूप से जमा कर दिया है । पूर्व के जमा किराये को समायोजित करने की प्रार्थना हे । वाद ने किराया लेने से इन्कार कर दिया था तो विवश होकर उसने किराया दिनाँक ............. स उ०प्र० अधिनियम स० 13 सन् 1972 की धारा 30(1) के अन्तर्गत जमा करना आरम्भ कर दिया था और निरन्तर जमा कर रहा है । जमा करने की रसीदें संलग्नक सं० ............ से सलग्न त ............. हैं । वादी को उक्त जमा का ज्ञान है।

**अथवा**

यह कि प्रतिवादी वादी को निरन्तर किराया देता रहा है किन्त रसीदें छपने के बहान रसाय दना टालता रहा हे ओर मिथ्या तथ्यों पर वाद योजित किया है। प्रतिवादी की ओर काइ शेष नहीं है।

**अथवा**

यह कि प्रतिवादी ने मकान को कोई साखान क्षति नहीं पहुँचाई कोई मूल्य नही उपयागिता नहीं घटाई/करुप नही बनाया/अन्यथा उपयोग नहीं किया/ अवेध या अनैतिक उपभोग नहीं किया/अनैतिक उपभोग में सजा नहीं हुई/कोई शिकमी किरायेदार नहीं रखा/कभी वादी के स्वामित्व से इन्कार नहीं किया/नियोजन अभी समाप्त नहीं हुआ है प्रकरण प्राधिकरण में विचाराधीन है.

1. यह कि वादी ने असद्भावना से प्रतिवादी को बेदखल करने हेतु मनघडन्त झूठे तथ्यों पर वाद योजित किया है। सच्चाई को छिपाकर मान्य न्यायालय को धोखा देते हुए यह वाद योजित किया है जो प्रत्येक अवस्था में विशेष व्यय सहित खारिज होने योग्य है।

**दिनांक..............**

**..............प्रतिवादी**

**.............द्वारा अधिवक्ता**

**सत्यापन**

मै................प्रतिवादी यह सत्यापित करता हूँ कि लिखित कथन के प्रस्तर 1 लगायत 7 मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य है । कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है और न कोई तथ्य असत्य है ।

**स्थान ............ दिनाँक ........... ......... प्रतिवादी**

**........ शनाख्त अधिवक्ता**